



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

यातायात माह का समापन

दिनांक:-30.11.2022

जिलाधिकारी सीतापुर महोदय श्री अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री घुले सुशील चन्द्रभान के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सुशील सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शोभित अत्री के नेतृत्व में यातायात प्रभारी श्री फरीद अहमद द्वारा यातायात माह का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालयों के शिक्षकगण, अभिभावक, क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति, समाजसेवी, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। समापन कार्यक्रम के क्रम में जागरूकता रैली स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, आर.एम.पी. इण्टर कॉलेज, हिन्दू कन्या विद्यालय आदि के छात्र/छात्राओं, स्काउट गाइड, एन0सी0सी0 कैडेट्स व यातायात पुलिस द्वारा सरोजनी वाटिका से, तरणताल तिराहा, आंख अस्पताल तिराहा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तिराहा, लागबाग चौराहा, लालकपड़ा कोठी होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त हुई। इसके उपरान्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात तथा प्रभारी यातायात द्वारा सभा में उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया व उन्हें यातायात नियमों का पालन करने व करवाने की शपथ दिलाई गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय का समापन समारोह के दौरान छात्र/छात्राओं/बच्चों हेतु संदेश- “हमारे सभी बच्चे यातायात पुलिस का हिस्सा है और सभी बच्चों ने इसके लिए अपना हाथ भी ऊपर उठाया, बस आप लोग अपने घर पर अपने बड़ो, पिजाजी, माताजी, दादाजी लोगों को रोकना टोकना चालू करें, क्योंकि बच्चें जब टोकेंगे, जब आप अपने बड़ो को, पिता जी को, दादा जी को कहेंगे कि हेलमेट पहने तो मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनको बाध्य करेगा पालन करने के लिए। सीतापुर में यातायात माह में करीब 56 हजार चालान

किए गए, इतने सारे चालान होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि पालन नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि जो हम लोग चालान कर रहे हैं इसके अलावा भी एक इमोशनल मैसेज भी बच्चों की तरफ से अपने बड़ों को, माँ-पिता को दिया जाये कि जब तक आप हेल्मेट नहीं पहनेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे तो वह जरूर मानेंगे”।

यातायात माह के दौरान जनपद में दिनांक 01.11.2022 से संपूर्ण नवंबर माह में यातायात जागरूकता एवम् यात्री सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों एवम् यातायात पुलिस टीम द्वारा विभिन्न विद्यालयों/स्थानों/ग्रामों आदि में जा-जाकर विद्यार्थियों/जनसामान्य को यातायात नियमों/कानूनों तथा संकेतों आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा कार्यशाला, गोष्ठियों, सभाओं आदि के माध्यम से विस्तृत यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात एवम् जनपदीय पुलिस द्वारा आमजनमानस को हेल्मेट/सीट-बेल्ट, विद्यार्थियों को स्कूल आते-जाते समय नियमों का पालन करने, नाबालिग बालक/बालिकाओं को वाहन न चलाने, दुपहिया वाहन पर दो से अधिक लोग न बैठाने एवम् भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मध्यम गति में वाहन चलाने, हाइवे पर पालन किये जाने वाले यातायात नियमों के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए गंभीर घटनाओं से हो सकने वाले बचाव के बारे में समझाया गया। वाहनों में यातायात सुरक्षा स्टीकर तथा रिफ्लेक्टर/रिफ्लेक्टिव शीशे लगाने हेतु प्रेरित किया गया तथा स्वयं विभिन्न स्थानों पर भी वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों में रिफ्लेक्टर/स्टीकर आदि लगवाये गये। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्राधिकारी यातायात व यातायात प्रभारी ने सभी के प्रति आभार जताते हुए समापन की घोषणा की।

यातायात माह नवम्बर 2022 में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कृत कार्यवाही,

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. कुल ई - चालान - | 56,156 |
| 2. कुल किया गया जुर्माना - | रु0 5,71,55,600 |
| 3. कुल सीज वाहन - | 41 |
| 4. कुल निस्तारित चालान - | 4060 |
| 5. कुल वसूला गया जुर्माना - | रु0 4,07,000 |

विभिन्न धाराओं में किये गये चालान की संख्या

क्र.सं.	धारा	चालानों की संख्या
1	बिना हेलमेट के वाहन चलाना	37,293
2	बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाना	4086
3	वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना	227
4	मो0सा0 पर दो से अधिक सवारी चलना	2386
5	ओवर स्पीड में वाहन चलाना	169
6	बिना निर्देश के साइड चेंज करना / गलत दिशा में वाहन चलाना	586
7	बिना रिफ्लेक्टर टेप / खराब रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चलाना	07
8	ध्वनि प्रदूषण (माडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न / हूटर)	10















